रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 2019—जनवरी 3, 2020 (पौष 7, 1941)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 2019—JANUARY 3, 2020 (PAUSA 7, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	619
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1459
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3241
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियो के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	7011
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	375
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2459
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	619
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1459
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...................................	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3241
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7011
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	375
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2459
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

विषय: परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2020 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(1)—सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2019 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2020 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आर. के. सिंह
अवर सचिव

विषय: यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स हकदारी(कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2020 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(2)—सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2019 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2020 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आर. के. सिंह
अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

सं. 8-65/2017-पीपी-II—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा साधारण सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि संगत शीर्ष के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़कर या बदलकर शामिल की जाएंगी जिसमें उन

अधिकारियों को पदनाम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वनस्पति और वनस्पति सामग्री के निरीक्षण, प्रधूमन या विसंक्रमित करने और उन देशों को निर्यात हेतु अपेक्षित पादपस्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं:

I. केन्द्र सरकार

(lxviii) प्रभारी अधिकारी
वनस्पति संगरोध केन्द्र,
भूमि सीमा स्टेशन,
गौरीफंटा (उत्तर प्रदेश),
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस) 1 (68)]

(lxix) प्रभारी अधिकारी
वनस्पति संगरोध केन्द्र,
भूमि सीमा स्टेशन,
विट्टमोद (बिहार),
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस) 1 (69)]

(lxx) प्रभारी अधिकारी
वनस्पति संगरोध केन्द्र,
भूमि सीमा स्टेशन,
बरहनी (उत्तर प्रदेश)
[कोड सं. 'सी' (पीपीक्यूएस) 1 (70)]

आतिश चंद्रा
संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 25.11.97 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I, दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना सं.-8-70/98-पीपी-I, दिनांक 06.11.2001 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 30.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 07.06.2004 की अधिसूचना सं.-8-33/2003-पीपी-I, दिनांक 11.05.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 20.06.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 08.12.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 09.01.2006 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 26.12.2011 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 30.01.2013 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 06.07.2015 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 21.06.2016 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 12.01.2017 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट) और दिनांक 13.04.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 11.08.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 14 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.04.2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.5.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 16.7.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 5th December 2019

Sub. : Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2020.

No. 1/61/2004-Exports-I (1)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2019.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2020.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

R. K. SINGH
Under Secretary

Sub. : Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2020.

No. 1/61/2004-Exports-I (2)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2019.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2020.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

R. K. SINGH
Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 19th December 2019

No. 8-65/2017-PP.II—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, as amended from time to time, it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition or replacement under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries, which require such certificates:

I. Central Government

(lxviii) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station
Gauriphanta (Uttar Pradesh),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (68)]

(lxix) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station
Vittamod (Bihar),
[Code No. 'C' (PPQS) 1 (69)]

(lxx) The Officer-in-Charge,
Plant Quarantine Station,
Land Frontier Station
Barhni (Uttar Pradesh),
[Code No. ‘C’ (PPQS) 1 (70)]

ATISH CHANDRA
Joint Secretary

Note: The original notification was issued by Department of Agriculture & Cooperation vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and subsequently modified vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 25.11.97, notification no. 8-70/98-PP.I dated 30.09.1999, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.11.2001, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.05.2002, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 30.05.2002, notification no. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 11.05.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.06.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 8.12.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 9.1.06, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 26th December, 2011, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 30th January, 2013, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 6th July, 2015, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 21st June, 2016, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 12th January, 2017 and notification no. 8-65/2017-PP.II dated 13th April, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 11th August, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 14th March, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th April, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th May, 2019 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 16th July, 2019.

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.12.30 11:44:36 +05'30'